

गांजा बिक्री करने की फिराक में शुम रहे दो व्यक्तियों को पूंजीपथरा पुलिस ने पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक अमित सिंह को मुख्यबिर से सूचना मिला कि ग्राम गेरवानी बस स्टैण्ड में दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बैग में रखकर बिक्री के लिये ग्राहक तलाश करते हुए बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ एवं गवर्हों के साथ गेरवानी बस स्टैण्ड के पास पहुंचे। जहां सदही बल्भ चौहान पिता स्व० द्विप साय चौहान उम्र 54 वर्ष सा० डीपापारा बेंगी थाना बरमकेला जिला रायगढ़ (छ००१) एवं राजेश चौहान पिता कर्मू चौहान उम्र 37 वर्ष सा० बुचापाली थाना बरमकेला जिला रायगढ़ को एक बैग के साथ पकड़े। बैग के अंदर मिले 02 पैकेट में 480 ग्राम एवं 420 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कुल 900 ग्राम किमी 1800 रुपये को जस किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 116/19 धारा 20(ब) NDPS ACT की कार्यवाही की गई है।

8 लिटर महुआ शराब जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभ्य सिंह के हमराह अरक्षक भीषणदेव सागर एवं ओम प्रकाश पटेल द्वारा मुख्यबिर सूचना पर ग्राम पड़िगांव थाना तमनार निवासी गौतम साहु पिता स्व० भागीरथी साहु उम्र 61 वर्ष को अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु पैदल लेकर आते हुये ग्राम पड़िगांव अटल चौक के पास पकड़े। आरोपी के पास से 10 लिटर के सफेद प्लास्टिक जरीकन में भरी करीबन 08 लीटर कच्ची महुआ शराब जस किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 109/19 धारा 34(2),59 अवकारी की कार्यवाही की गई है।

सूने मकान का ताला तोड़कर नगदी व सोने की अंगुठी एवं मोबाईल पार, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। घर में ताला लगाकर परिवार समेत खाना खाने होटल गये लोग जब घर वापस आये तो किसी ने घर का ताला तोड़कर आलमारी में रखे नगदी रुपये व सोने की दो अंगुठी व अन्य समान चोरी हो गया। घटना की रिपोर्ट को तालाली रायपुर निवासी अविन्नदास 23 वर्ष पिता जयन्त दास ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि रिवार वारी की रात घर में ताला लगाकर पूरा परिवार खाना खाने नया रायपुर गया हुआ था। जब वापस रात्रि 10.20 को घर आये तो घर का ताला तोड़कर किस ने किमरे के अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखे नगदी 32 हजार रुपये व एम नग मोबाईल फोन मोटोरोला कंपनी का बोने के दो अंगुठी एवं कड़े, बैग चोरी हो गया। प्रार्थी ने छत के ऊपर से किसी के भागने की आहट सून कर छत पर दौड़ लगाई तो देखा की मकान के पास एक बाईक खड़ी थी व चोर चोरी करके फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 394 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता जयल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

शराब पीने पैसा नहीं देने पर नगदी व एटीएम कार्ड छीनकर लूटा, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शराब पीने पैसा नहीं देने पर आरोपी ने युक्त से मारपीट कर जेब में रखे 1 हजार रुपये नगदी व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 394 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मदर्ढपारा खमतराई रायपुर निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

टाबा से बाइक पर करने वाला धराया

न्याय साक्षी/रायगढ़। सात माह पूर्व टाबा के पास हीरे एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 13 जेड 6774 को बेदराम सारथी पिता जय लाल सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी मानिकपुर थाना सरिया को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके पास से मोटरसाइकिल जब्त कर गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साहु उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बानीपाथर थाना निवासी दीपक कौशल 36 वर्ष पिता स्व० भुवनलाल कौशल कौशल ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सन्यासीपारा खमतराई रायपुर निवासी शिव उर्फ अण्डर 22 वर्ष पिता रामु यादव ने शराब पीने के लिये पैसा मांगा नहीं देने पर मारपीट कर पेन्ट की जेब में 1 हजार रुपये व एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दामोदर साहु पिता मुकुंद राम साह